



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerrddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 272 /12-1 :देहरादून:दिनांक: 01-08-2024

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25, सुभाष रोड, देहरादून।

विषय जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के भवन निर्माण हेतु 2.00 है० वनभूमि का गैर वाणिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन। (PROPOSAL NO.- FP/UK/Others/44711/2020)

सन्दर्भ :-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8वी /यू०सी०पी० /०९ /१४० /२०२१ /एफ०सी० /७४ दिनांक 26.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत EDS की सूचना वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्रांक 116/12-1 दिनांक 12.07.2024 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र०सं०	चाही गई सूचना	निराकरण
1	उल्लंघन के संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध है कि IFA 1927 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मामले निपटन किया जाए। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश दिया गया है, तो उसका विवरण प्रदान करने का कष्ट करें ताकि FCA 1980 के तहत कार्यवाही की जा सके।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के पत्रांक 4019/12-1(2) दिनांक 20.06.2024 से अवगत कराया गया है कि- i- विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर परिवेश पोर्टल पर 31-07-2015 को ऑनलाईन अपलोड किया गया। (संलग्नक-1) ii- जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अगस्त्यमुनि रेंज ने अपने पत्रांक-260/12 दिनांक 23-10-2015 के द्वारा बिना वन भूमि हस्तान्तरण के किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। (संलग्नक-2) iii- संस्था के पत्रांक-362-63/भूमि हस्तान्तरण विशयक/2015-16 दिनांक 02.11.2015 के द्वारा निर्माण एजेन्सी को निर्माण तत्काल कार्य रोकने को कहा गया। (संलग्नक-3अ) iv- संस्था के पत्रांक संख्या-372/भूमि विषयक/2015-16 दिनांक 04-11-2015 के द्वारा उक्त सूचना वन विभाग को प्रेषित की गई। (संलग्नक-3ब) v- वर्तमान तिथि तक कार्य पूर्ण रूप से रुका हुआ है। vi- निर्माण कार्य संबंधित सूचना प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्रांक-1304/12 1(2) दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक 4) के द्वारा पूर्व में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 को स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विवरण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक-5) तथा परिवेश पोर्टल के पैरा-11 (संलग्नक-6) में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया। vii- चूंकि प्रस्ताव गठित के बाद निर्माण कार्य अवैध रूप से किया गया था। अतः IFA 1927 में कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, परन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन संबंधी सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी।

<p>2</p> <p>इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 24-01-2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific activity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार है-</p> <p>“Utilization of forest area for establishing industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are non-site specific activities and cannot be considered on forest land as a rule. For that matter, no non-site-specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980. In exceptional circumstances, residential projects upto one ha, can be considered for approval under FCA 1980 by the MoEF&CC, subject to appropriate justification and recommendation by the concerned state Government and the Regional Officer of the IRO of MoEFCC.”</p> <p>उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त उद्दे य हेतु गैर वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।</p>	<p>उक्त विन्दु के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नगत प्रस्ताव हेतु शासनादेश संख्या-790/XI.I-1/2013-79/13 दिनांक 22.08.2013 के द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार संचालन हेतु जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र कंदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्ला नागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति की गई। (संलग्नक-7) 2. शासनादेश संख्या-1287/XI.I-1/2013-107/13 दिनांक 03.03.2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के भवन निर्माण हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। (संलग्नक-8) 3. शासनादेश संख्या-66/XI.I-1/2014-11/2014 दिनांक 04.07.2014 के द्वारा उक्त नवसृजित राजकीय पॉलीटेक्निक, चोपता में पदों/पाठ्यक्रमों के सृजन/स्वीकृती प्रदान की गयी। (संलग्नक-9) 4. प्रकरण के भवन निर्माण हेतु स्थान चोपता के आसपास गैर वन भूमि की तलाश हेतु कतिपय प्रयास किये गये, किन्तु मानकानुसार गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई। 5. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक गौचर नोडल अधिकारी चोपता के पत्रांक संख्या-693/नया0 पॉली0चोपता/2013-14 दिनांक 18-09-2013 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को नवसृजित पॉलीटेक्निक हेतु AICTE के मानकानुसार 2.00 हे0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। (संलग्नक-10) 6. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की पत्र संख्या-2586/छवीस-12/2013-14 दिनांक 26-03-2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के निर्माण हेतु चयनित भूमि के संबंध में संस्थान को अवगत कराया गया। (संलग्नक-11) 7. उपरोक्तानुसार चयनित भूमि का दिनांक 12-02-2015 को संयुक्त निरीक्षण कराया गया व निरीक्षणोपरान्त चयनित भूमि प्रश्नगत प्रकरण के निर्माण हेतु उपयुक्त पाई गयी। (संलग्नक-12) 8. तत्प चात् चयनित वन भूमि के समस्त अभिलेख/वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कराते हुए संबंधितों के हस्ताक्षरोपरान्त अन्य औपचारिकता पूर्ण करते हुए दिनांक 31-07-2015 को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड (Proposal No.-FP/UK/OTHERS/14241/2015) करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक-13) 9. जानकारी के अभाव में त्रुटिवश चयनित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसके निस्तारण/समाधान हेतु अपर सचिव उत्तराखण्ड भासन की पत्र संख्या-912/X-4-18/1(654)/2015 दिनांक 10-09-2015 के द्वारा दिनांक 05-09-2018 को बैठक निर्धारित की गई। (संलग्नक-14) 10. उक्त निर्धारित तिथि को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्ताव में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने (जैसे-दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल 8.00 हे0 का चयन, पोर्टल पर तकनीकी समस्या आदि) में काफी कठिनाईयां उत्पन्न हुई, जिस कारण लम्बा समय व्यतीत हो गया। 11. समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रस्ताव पुनः नये सिरे से ऑनलाईन उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित किया गया। 12. तत्पश्चात् भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/09/140/2021/एफ0सी0/1373 दिनांक 27.01.2022 के द्वारा 19 विन्दु की आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक-15) 13. उक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-209/भूमि हे0/2022-23 दिनांक 03-09-2022 द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक
---	---

		<p>08-09-2022 ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक-16)</p> <p>14. पुनः भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/09/140/2021/एफ0सी0/1056 दिनांक 01-11-2022 के द्वारा 06 आपत्तियों के निराकरण हेतु साथ प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक-17)</p> <p>15. उक्त आपत्तियों का पूर्ण निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-449/भूमि ह0/2022-23 दिनांक 20-02-2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 21-02-2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित की गई। (संलग्नक-18)</p> <p>15. उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की पत्र संख्या-3043/12-1(2) दिनांक 06.03.2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 20.03.2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित की गई। (संलग्नक-19)</p>
--	--	--

अतः वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी/प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के तहत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर0क0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या-272 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग।

(आर0क0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी



पत्रांक:- 116 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, जुलाई 12, 2024.

सेवा में

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय-

जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव शिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कृष्णदादानकोट) के भवन निर्माण हेतु 2.00 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। P. NO.- FP/UK/OTHERS/44711/2020

सन्दर्भ-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी./सू.सी.पी./09/140/2021/एफ.सी०/74 दिनांक 26.04.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 4019/12-1(2) दिनांक 20.06.2024 से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार स्तर से चाही गई सूचना पधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक-82/भूमि ह०/2024-25 दिनांक 31.05.2024 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग को निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट-1 के additional information detail के क्र०सं०-49 में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

क्र.	चाही गई सूचना	निराकरण
1	उल्लंघन के संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध है कि IFA 1927 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मामले निपटन किया जाए। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश दिया गया है, तो उसका विवरण प्रदान करने का कष्ट करें ताकि FCA 1980 के तहत कार्यवाही की जा सके।	<p>प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 4019/12-1(2) दिनांक 20.06.2024 से अवगत कराया गया है कि-</p> <p>i- विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर परिवेश पोर्टल पर 31-07-2015 को ऑनलाईन अपलोड किया गया। (संलग्नक-1)</p> <p>ii- जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अगस्तयमुनि रेंज ने अपने पत्रांक-260/12 दिनांक 23-10-2015 के द्वारा बिना वन भूमि हस्तान्तरण के किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। (संलग्नक-2)</p> <p>iii- संस्था के पत्रांक-362-63/भूमि हस्तान्तरण विषयक/2015-16 दिनांक 02.11.2015 के द्वारा निर्माण एजेन्सी को निर्माण तत्काल कार्य रोकने को कहा गया। (संलग्नक-3अ)</p> <p>iv- संस्था के पत्रांक संख्या-372/भूमि विषयक/2015-16 दिनांक 04-11-2015 के द्वारा उक्त सूचना वन विभाग को प्रेषित की गई। (संलग्नक-3ब)</p> <p>v- वर्तमान तिथि तक कार्य पूर्ण रूप से रुका हुआ है।</p> <p>vi- निर्माण कार्य संबंधित सूचना प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्रांक-1304/12-1(2) दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक-4) के द्वारा पूर्व में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 को स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विवरण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक-5) तथा परिवेश पोर्टल के पैरा-11 (संलग्नक-6) में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया।</p> <p>vii- चूंकि प्रस्ताव गठित के बाद निर्माण कार्य अवैध रूप से किया गया था। अतः IFA 1927 में कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, परन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन संबंधी सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी।</p>

प्रभारी रुद्र प्रयाग

वन संरक्षण, देहरादून

20-7-24

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून 412
पंजी० सं०.....

<p>2 इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 24-01-2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific activity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार है— “Utilization of forest area for establishing industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are non-site specific activities and cannot be considered on forest land as a rule. For that matter, no non-site-specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980. In exceptional circumstances, residential projects upto one ha, can be considered for approval under FCA 1980 by the MoEF&CC, subject to appropriate justification and recommendation by the concerned state Government and the Regional Officer of the IRO of MoEFCC.” उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त उद्देश्य हेतु गैर वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।</p>	<p>प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने से अवगत कराया गया है कि—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नगत प्रस्ताव हेतु शासनादेश संख्या-790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22.08.2013 के द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार संचालन हेतु जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्ला नागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति की गई। (संलग्नक-7) 2. शासनादेश संख्या-1287/XLI-1/2013-107/13 दिनांक 03.03.2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के भवन निर्माण हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। (संलग्नक-8) 3. शासनादेश संख्या-66/XLI-1/2014-11/2014 दिनांक 04.07.2014 के द्वारा उक्त नवसृजित राजकीय पॉलीटेक्निक, चोपता में पदों/पाठ्यक्रमों के सृजन/स्वीकृति प्रदान की गयी। (संलग्नक-9) 4. प्रकरण के भवन निर्माण हेतु स्थान चोपता के आसपास गैर वन भूमि की तलाश हेतु कतिपय प्रयास किये गये, किन्तु मानकानुसार गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई। 5. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक गौचर नोडल अधिकारी चोपता के पत्रांक संख्या-693/नया0 पॉली0चोपता/2013-14 दिनांक 18-09-2013 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को नवसृजित पॉलीटेक्निक हेतु AICTE के मानकानुसार 2.00 है0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। (संलग्नक-10) 6. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की पत्र संख्या-2586/छब्बीस-12/2013-14 दिनांक 26-03-2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के निर्माण हेतु चयनित भूमि के संबंध में संस्थान को अवगत कराया गया। (संलग्नक-11) 7. उपरोक्तानुसार चयनित भूमि का दिनांक 12-02-2015 को संयुक्त निरीक्षण कराया गया व निरीक्षणोंपरान्त चयनित भूमि प्रश्नगत प्रकरण के निर्माण हेतु उपयुक्त पाई गयी। (संलग्नक-12) 8. तत्पश्चात् चयनित वन भूमि के समस्त अभिलेख/वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कराते हुए संबंधितों के हस्ताक्षरोपरान्त अन्य औपचारिकता पूर्ण करते हुए दिनांक 31-07-2015 को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड (Proposal No.-FP/UK/OTHERS/14241/2015) करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक-13) 9. जानकारी के अभाव में त्रुटिवश चयनित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसके निस्तारण/समाधान हेतु अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-912/X-4-18/1(654)/2015 दिनांक 10-09-2015 के द्वारा दिनांक 05-09-2018 को बैठक निर्धारित की गई। (संलग्नक-14) 10. उक्त निर्धारित तिथि को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्ताव में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने (जैसे-दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल 8.00 है0 का चयन, पोर्टल पर तकनीकी समस्या आदि) में काफी कठिनाईयां उत्पन्न हुई, जिस कारण लम्बा समय व्यतीत हो गया। 11. समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रस्ताव पुनः नये सिरे से ऑनलाईन उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित किया गया। 12. तत्पश्चात् भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/09/140/2021/एफ0सी0 /1373 दिनांक 27.01.2022 के द्वारा 19 बिन्दु की आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक-15)
---	---

13. उक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-209/भूमि ह0/2022-23 दिनांक 03-09-2022 द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 08-09-2022 ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक-16)
14. पुनः भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/09/140/2021/एफ0सी0/1056 दिनांक 01-11-2022 के द्वारा 06 आपत्तियों के निराकरण हेतु साथ प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक-17)
15. उक्त आपत्तियों का पूर्ण निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-449/भूमि ह0/2022-23 दिनांक 20-02-2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 21-02-2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित की गई। (संलग्नक-18)
15. उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की पत्र संख्या-3043/12-1(2) दिनांक 06.03.2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 20.03.2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित की गई। (संलग्नक-19)

प्रस्तावित राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज के समन्वयक/प्रधानाचार्य ने उपरोक्त बिन्दुओं के अलावा यह भी कहा है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 26.04.2023 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 24.01.2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific activity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है, जबकि यह प्रकरण उससे पूर्व में ही प्रक्रियाधीन था और इसमें भारत सरकार के आपत्तियों का निराकरण कर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया।


उपरोक्त तथ्यों के आलोक में राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज के समन्वयक/प्रधानाचार्य का अनुरोध है कि राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) की स्थापना के लिए प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण को ही स्वीकार किया जाए।


प्रकरण आपके निर्णय हेतु अग्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि।

पत्रांक:- 116/12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी


(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक- 4019 / 12-1(2) दिनांक 20/06/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
 गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
 पौड़ी।

विषय-

जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव निर्मित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कृष्णादानकोट) के भवन निर्माण हेतु 2.00 हे० वनभूमि का गैर तानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।
PROPOSAL NO. - PP/UK/OTHERS/44711/2020

सन्दर्भ :-

भारत सरकार की पत्र संख्या-8वी./यू.सी.पी./09/140/2021/एफ.सी0/74 दिनांक 26.04.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार स्तर से वांछित सूचना प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक-82/भूमि 80/2024-25 दिनांक 31.05.2024 के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट-1 के additional information detail के क्र०सं०-49 में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	उल्लंघन के संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध है कि IFA 1927 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मामले निपटन किया जाए। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश दिया गया है, तो उसका विवरण प्रदान करने का कष्ट करें ताकि FCA 1980 के तहत कार्यवाही की जा सके।	प्रश्नगत प्रकरण में उल्लंघन के संबंध में संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि- i- विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर परिवेश पोर्टल पर 31-07-2015 को ऑनलाईन अपलोड किया गया। (संलग्नक-1) ii- जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अग्रस्तयमुनि रेंज ने अपने पत्रांक-260/12 दिनांक 23-10-2015 के द्वारा बिना वन भूमि हस्तान्तरण के किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। (संलग्नक-2) iii- संस्था के पत्रांक-362-63/भूमि हस्तान्तरण विषयक/2015-16 दिनांक 02.11.2015 के द्वारा निर्माण एजेन्सी को निर्माण तत्काल कार्य रोकने को कहा गया। (संलग्नक-3अ) iv- संस्था के पत्रांक संख्या-372/भूमि विषयक/2015-16 दिनांक 04-11-2015 के द्वारा उक्त सूचना वन विभाग को प्रेषित की गई। (संलग्नक-3ब) v- वर्तमान तिथि तक कार्य पूर्ण रूप से रुका हुआ है। vi- निर्माण कार्य संबंधित सूचना कार्यालय के पत्रांक-1304/12-1(2) दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक-4) के द्वारा पूर्व में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 को स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विवरण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक-5) तथा परिवेश पोर्टल के पैरा-11 (संलग्नक-6) में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया। vii- चूंकि प्रस्ताव गठित के बाद निर्माण कार्य अवैध रूप से किया गया था। अतः IFA 1927 में कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, परन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन संबंधी सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी।

<p>2 इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 24-01-2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific acitivity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार है-</p>	<p>इस संबंध में संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नगत प्रस्ताव हेतु शासनादेश संख्या-790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22.08.2013 के द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार संचालन हेतु जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्ला नागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति की गई। (संलग्नक-7)
<p>“Utilization of forest area for establishing industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are non-site specific activities and cannot be considered on forest land as a rule. For that matter, no non-site-specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980. In exceptional circumstances, residential projects upto one ha, can be considered for approval under FCA 1980 by the MoEF&CC, subject to appropriate justification and recommendation by the concerned state Government and the Regional Officer of the IRO of MoEFCC.”</p> <p>उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त उद्देश्य हेतु गैर वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. शासनादेश संख्या-1287/XLI-1/2013-107/13 दिनांक 03.03.2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के भवन निर्माण हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। (संलग्नक-8) 3. शासनादेश संख्या-66/XLI-1/2014-11/2014 दिनांक 04.07.2014 के द्वारा उक्त नवसृजित राजकीय पॉलीटेक्निक, चोपता में पदों/पाठ्यक्रमों के सृजन/स्वीकृति प्रदान की गयी। (संलग्नक-9) 4. प्रकरण के भवन निर्माण हेतु स्थान चोपता के आसपास गैर वन भूमि की तलाश हेतु कतिपय प्रयास किये गये, किन्तु मानकानुसार गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई। 5. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक गौचर नोडल अधिकारी चोपता के पत्रांक संख्या-693/नया0 पॉली0चोपता/2013-14 दिनांक 18-09-2013 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को नवसृजित पॉलीटेक्निक हेतु AICTE के मानकानुसार 2.00 है0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। (संलग्नक-10) 6. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की पत्र संख्या-2586/छब्बीस-12/2013-14 दिनांक 26-03-2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के निर्माण हेतु चयनित भूमि के संबंध में संस्थान को अवगत कराया गया। (संलग्नक-11) 7. उपरोक्तानुसार चयनित भूमि का दिनांक 12-02-2015 को संयुक्त निरीक्षण कराया गया व निरीक्षणोपरान्त चयनित भूमि प्रश्नगत प्रकरण के निर्माण हेतु उपयुक्त पाई गयी। (संलग्नक-12) 8. तत्पश्चात् चयनित वन भूमि के समस्त अभिलेख/वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कराते हुए संबंधितों के हस्ताक्षरोपरान्त अन्य औपचारिकता पूर्ण करते हुए दिनांक 31-07-2015 को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड (Proposal No.-FP/UK/OTHERS/14241/2015) करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक-13) 9. जानकारी के अभाव में त्रुटिवश चयनित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसके निस्तारण/समाधान हेतु अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-912/X-4-18/1(654)/2015 दिनांक 10-09-2015 के द्वारा दिनांक 05-09-2018 को बैठक निर्धारित की गई। (संलग्नक-14) 10. उक्त निर्धारित तिथि को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्ताव में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने (जैसे-दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल 8.00 है0 का चयन, पोर्टल पर तकनीकी समस्या आदि) में काफी कठिनाईयां उत्पन्न हुई, जिस कारण लम्बा समय व्यतीत हो गया। 11. समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रस्ताव पुनः नये सिरे से ऑनलाईन उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित किया गया। 12. तत्पश्चात् भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/09/140/2021/ एफ0सी0/1373 दिनांक 27.01.2022 के द्वारा 19 बिन्दु की आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक-15)


- 13. उक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-209/भूमि ह0/2022-23 दिनांक 03-09-2022 द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 08-09-2022 ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक-16)
- 14. पुनः भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/09/140/2021/एफ0सी0/1056 दिनांक 01-11-2022 के द्वारा 06 आपत्तियों के निराकरण हेतु साथ प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक-17)
- 15. उक्त आपत्तियों का पूर्ण निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-449/भूमि ह0/2022-23 दिनांक 20-02-2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 21-02-2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित की गई। (संलग्नक-18)
- 15. उक्त सूचना इस कार्यालय की पत्र संख्या-3043/12-1(2) दिनांक 06.03.2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 20.03.2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित की गई। (संलग्नक-19)

यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 26.04.2023 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि-दिनांक 24.01.2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी **non-site specific activity** प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.01.2022 एवं पत्र दिनांक 01.11.2022 के द्वारा कतिपय आपत्तियों/कमियों के निराकरण हेतु ऑनलाईन वापस किया गया, जिसका पूर्ण अनुपालन करते हुये प्रस्ताव ऑनलाईन उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कराना है कि-एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन हेतु नये दिशानिर्देश दिनांक 24.01.2022 को जारी किये गये हैं, किन्तु प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वर्ष 2014-15 से स्वीकृति हेतु गतिमान है तथा भारत सरकार स्तर से वांछित सूचना/कतिपय आपत्तियाँ उक्त दिशानिर्देश के पश्चात् की हैं, जिनका पूर्ण अनुपालन किया गया है।


अतः संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में कतिपय तकनीकी कठिनाईयों व औपचारिकताओं को पूर्ण करने में हुई समस्या एवं विषम परिस्थितियों को दृष्टियगत रखते हुये प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर एक बार पुनः विचार करने की महान कृपा कीजिएगा, ताकि क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को तकनीकी ज्ञान की सहायता से रोजगार एवं स्वरोजगार का अवसर मिल सके और स्थानीय नागरिकों के विकास हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना की जा सके।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार। (04 प्रतियों में)


भवदीय

 प्रभिमन्यु

उप वन संरक्षक,
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या - 4019 / दिनांकित।
 प्रतिलिपि :- प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

वन भूमि हस्तान्तरण
 अधिकारी को

 कोस
 सुगंधवाल

कार्यालय वन संरक्षक
 गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी
 प्राप्ति सं० 8053
 पत्रांक सं० 121
 27/6/24
 वन भू हस्तान्तरण


 प्रभिमन्यु
 उप वन संरक्षक,
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।



ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फैक्स नं० :- 01364 - 233505::

पता :- माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक- 4019 / 12-1 (2) दिनांक 20/06/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के भवन निर्माण हेतु 2.00 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।
PROPOSAL NO. - FP/UK/OTHERS/44711/2020

सन्दर्भ :- भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./09/140/2021/एफ.सी०/74 दिनांक 26.04.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार स्तर से वांछित सूचना प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक-82/भूमि ह०/2024-25 दिनांक 31.05.2024 के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट-1 के additional information detail के क्र०सं०-49 में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	उल्लंघन के संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध है कि IFA 1927 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मामले निपटन किया जाए। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश दिया गया है, तो उसका विवरण प्रदान करने का कष्ट करें ताकि FCA 1980 के तहत कार्यवाही की जा सके।	प्रश्नगत प्रकरण में उल्लंघन के संबंध में संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि- i- विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर परिवेश पोर्टल पर 31-07-2015 को ऑनलाईन अपलोड किया गया। (संलग्नक-1) ii- जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अगस्त्यमुनि रेंज ने अपने पत्रांक-260/12 दिनांक 23-10-2015 के द्वारा बिना वन भूमि हस्तान्तरण के किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। (संलग्नक-2) iii- संस्था के पत्रांक-362-63/भूमि हस्तान्तरण विषयक/2015-16 दिनांक 02.11.2015 के द्वारा निर्माण एजेन्सी को निर्माण तत्काल कार्य रोकने को कहा गया। (संलग्नक-3अ) iv- संस्था के पत्रांक संख्या-372/भूमि विषयक/2015-16 दिनांक 04-11-2015 के द्वारा उक्त सूचना वन विभाग को प्रेषित की गई। (संलग्नक-3ब) v- वर्तमान तिथि तक कार्य पूर्ण रूप से रुका हुआ है। vi- निर्माण कार्य संबंधित सूचना कार्यालय के पत्रांक-1304/12-1(2) दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक-4) के द्वारा पूर्व में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 को स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विवरण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक-5) तथा परिवेश पोर्टल के पैरा-11 (संलग्नक-6) में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया। vii- चूंकि प्रस्ताव गठित के बाद निर्माण कार्य अवैध रूप से किया गया था। अतः IFA 1927 में कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, परन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन संबंधी सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी।

क्रमशः-2 पर

0/0


<p>2 इसके अतिरिक्त आपको यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 24-01-2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific acitivity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार है—</p> <p>“Utilization of forest area for establishing industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are non-site specific activities and cannot be considered on forest land as a rule. For that matter, no non-site-specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980. In exceptional circumstances, residential projects upto one ha, can be considered for approval under FCA 1980 by the MoEF&CC, subject to appropriate justification and recommendation by the concerned state Government and the Regional Officer of the IRO of MoEFCC.”</p> <p>उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त उद्देश्य हेतु गैर वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।</p>	<p>इस संबंध में संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नगत प्रस्ताव हेतु शासनादेश संख्या-790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22.08.2013 के द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार संचालन हेतु जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्ला नागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति की गई। (संलग्नक-7) 2. शासनादेश संख्या-1287/XLI-1/2013-107/13 दिनांक 03.03.2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के भवन निर्माण हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। (संलग्नक-8) 3. शासनादेश संख्या-66/XLI-1/2014-11/2014 दिनांक 04.07.2014 के द्वारा उक्त नवसृजित राजकीय पॉलीटेक्निक, चोपता में पदों/पाठ्यक्रमों के सृजन/स्वीकृती प्रदान की गयी। (संलग्नक-9) 4. प्रकरण के भवन निर्माण हेतु स्थान चोपता के आसपास गैर वन भूमि की तलाश हेतु कतिपय प्रयास किये गये, किन्तु मानकानुसार गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई। 5. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक गौचर नोडल अधिकारी चोपता के पत्रांक संख्या-693/नया0 पॉली0चोपता/2013-14 दिनांक 18-09-2013 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को नवसृजित पॉलीटेक्निक हेतु AICTE के मानकानुसार 2.00 है0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। (संलग्नक-10) 6. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की पत्र संख्या-2586/छब्बीस-12/2013-14 दिनांक 26-03-2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के निर्माण हेतु चयनित भूमि के संबंध में संस्थान को अवगत कराया गया। (संलग्नक-11) 7. उपरोक्तानुसार चयनित भूमि का दिनांक 12-02-2015 को संयुक्त निरीक्षण कराया गया व निरीक्षणोपरान्त चयनित भूमि प्रश्नगत प्रकरण के निर्माण हेतु उपयुक्त पाई गयी। (संलग्नक-12) 8. तत्पश्चात् चयनित वन भूमि के समस्त अभिलेख/वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कराते हुए संबंधितों के हस्ताक्षरोपरान्त अन्य औपचारिकता पूर्ण करते हुए दिनांक 31-07-2015 को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड (Proposal No.-FP/UK/OTHERS/14241/2015) करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक-13) 9. जानकारी के अभाव में त्रुटिवश चयनित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसके निस्तारण/समाधान हेतु अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-912/X-4-18/1(654)/2015 दिनांक 10-09-2015 के द्वारा दिनांक 05-09-2018 को बैठक निर्धारित की गई। (संलग्नक-14) 10. उक्त निर्धारित तिथि को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्ताव में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने (जैसे-दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल 8.00 है0 का चयन, पोर्टल पर तकनीकी समस्या आदि) में काफी कठिनाईयां उत्पन्न हुई, जिस कारण लम्बा समय व्यतीत हो गया। 11. समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रस्ताव पुनः नये सिरे से ऑनलाईन उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित किया गया। 12. तत्पश्चात् भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/09/140/2021/ एफ0सी0/1373 दिनांक 27.01.2022 के द्वारा 19 बिन्दु की आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक-15)
---	--

(3)

		<p>13. उक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-209/भूमि ह0/2022-23 दिनांक 03-09-2022 द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 08-09-2022 ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक-16)</p> <p>14. पुनः भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/09/140/2021/एफ0सी0/1056 दिनांक 01-11-2022 के द्वारा 06 आपत्तियों के निराकरण हेतु साथ प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक-17)</p> <p>15. उक्त आपत्तियों का पूर्ण निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-449/भूमि ह0/2022-23 दिनांक 20-02-2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 21-02-2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित की गई। (संलग्नक-18)</p> <p>15. उक्त सूचना इस कार्यालय की पत्र संख्या-3043/12-1(2) दिनांक 06.03.2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 20.03.2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित की गई। (संलग्नक-19)</p> <p>यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 26.04.2023 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि-दिनांक 24.01.2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific activity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय औपचारितारियें पूर्ण करने के पश्चात् भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.01.2022 एवं पत्र दिनांक 01.11.2022 के द्वारा कतिपय आपत्तियों/कमियों के निराकरण हेतु ऑनलाईन वापस किया गया, जिसका पूर्ण अनुपालन करते हुये प्रस्ताव ऑनलाईन उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित किया गया।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कराना है कि-एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन हेतु नये दिशानिर्देश दिनांक 24.01.2022 को जारी किये गये हैं, किन्तु प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वर्ष 2014-15 से स्वीकृति हेतु गतिमान है तथा भारत सरकार स्तर से वांछित सूचना/कतिपय आपत्तियां उक्त दिशानिर्देश के पश्चात की हैं, जिनका पूर्ण अनुपालन किया गया है।</p> <p>अतः संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में कतिपय तकनीकी कठिनाईयों व औपचारिकताओं को पूर्ण करने में हुई समस्या एवं विषम परिस्थितियों को दृष्टियगत रखते हुये प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर एक बार पुनः विचार करने की महान कृपा कीजिएगा, ताकि क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को तकनीकी ज्ञान की सहायता से रोजगार एवं स्वरोजगार का अवसर मिल सके और स्थानीय नागरिकों के विकास हेतु राजकीय पॉलीटैक्निक की स्थापना की जा सके।</p>
--	--	--

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार। (04 प्रतियों में)

भवदीय


अभिमन्यु

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या - 4019 /दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


अभिमन्यु

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

31/05/2024 प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक— 82 / भूमि ह0 / 2024-25

दिनांक 31 मई 2024

विषय:— जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत सृजित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डा दानकोट) में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि हस्तान्तरण पर पुनर्विचार करने के संबंध में।

संदर्भ:— भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन के पत्र संख्या 8 बी/यू0पी0सी0/09/140/2021/एफ00सी0/74 दिनांक 26-04-2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या 8 बी/यू0पी0सी0/09/140/2021/एफ00सी0/74 दिनांक 26-04-2023 के द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

क्र. स.	आपत्ति/कमियाँ	निराकरण
1.	उल्लंघन के संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध है कि IFA 1927 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मामले निपटन किया जाए। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश दिया गया है, तो उसका विवरण प्रदान करने का कष्ट करें ताकि FCA 1980 के तहत कार्यवाही की जा सके।	प्रश्नगत प्रकरण में उल्लंघन के संबंध में अवगत कराना है कि— 1. विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर परिवेश पोर्टल पर 31-07-2015 को ऑनलाईन अपलोड किया गया। (संलग्नक-1) जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अगस्त्यमुनि रेंज ने अपने पत्रांक 260/12 दिनांक 23-10-2015 के द्वारा विना वन भूमि हस्तान्तरण के किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। (संलग्नक 02) संस्था के पत्रांक संख्या 362-63/भूमि हस्तान्तरण विषयक/2015-16 दिनांक 02.11.2015 के द्वारा निर्माण एजेन्सी को निर्माण तत्काल कार्य रोकने को कहा गया। (संलग्नक 03-अ) संस्था के पत्रांक संख्या 372/भूमि विषयक/2015-16 दिनांक 04-11-2015 के द्वारा उक्त सूचना वन विभाग को प्रेषित की गई। (संलग्नक 03-ब) वर्तमान तिथि तक कार्य पूर्ण रूप से रूका हुआ है।
2.	दिनांक 24-01-2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific activity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार है— “Utilization of forest area for establishing industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are non-site specific activities and cannot be considered on forest	1. शासनादेश संख्या-790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22.08.2013 के द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार संचालन हेतु जनपद-रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्ला नागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति की गई। (संलग्नक-4) 2. शासनादेश संख्या-1287/XLI-1/2013-107/13 दिनांक 03.03.2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के भवन निर्माण हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। (संलग्नक-5) 3. शासनादेश संख्या-66/XLI-1/2014-11/2014 दिनांक 04.07.2014 के द्वारा उक्त नवसृजित राजकीय पॉलीटेक्निक, चोपता में पदों/पाठ्यक्रमों के सृजन/स्वीकृती प्रदान की गयी। (संलग्नक-6) 4. प्रकरण के भवन निर्माण हेतु स्थान चोपता के आसपास गैर वन भूमि की तलाश हेतु कतिपय प्रयास किये गये, किन्तु मानकानुसार गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई।

land as a rule. For that matter, no non-site-specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980. In exceptional circumstances, residential projects upto one ha, can be considered for approval under FCA 1980 by the MoEF&CC, subject to appropriate justification and recommendation by the concerned state Government and the Regional Officer of the IRO of MoEFCC.”

उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त उद्देश्य हेतु गैर वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।

5. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक गौचर नोडल अधिकारी चोपता के पत्रांक संख्या-693/नया0 पॉली0चोपता/2013-14 दिनांक 18-09-2013 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग को नवसृजित पॉलीटेक्निक हेतु AICTE के मानकानुसार 2.00 है0 भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया। (संलग्नक-7)
6. जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की पत्र संख्या-2586/छब्बीस-12/2013-14 दिनांक 26-03-2014 के द्वारा उक्त प्रकरण के निर्माण हेतु चयनित भूमि के संबंध में संस्थान को अवगत कराया गया। (संलग्नक-8)
7. उपरोक्तानुसार चयनित भूमि का दिनांक 12-02-2015 को संयुक्त निरीक्षण कराया गया व निरीक्षणोंपरान्त चयनित भूमि प्रश्नगत प्रकरण के निर्माण हेतु उपयुक्त पाई गयी। (संलग्नक-9)
8. तत्पश्चात् चयनित वन भूमि के समस्त अभिलेख/वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कराते हुए संबंधितों के हस्ताक्षरोपरान्त अन्य औपचारिकता पूर्ण करते हुए दिनांक 31-07-2015 को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड (Proposal No.-FP/UK/OTHERS/14241/2015) करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक-10)
9. जानकारी के अभाव में त्रुटिवश चयनित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसके निस्तारण/समाधान हेतु अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-912/X-4-18/1(654)/2015 दिनांक 10-09-2015 के द्वारा दिनांक 05-09-2018 को बैठक निर्धारित की गई। (संलग्नक-11)
10. उक्त निर्धारित तिथि को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्ताव में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने (जैसे-दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल 8.00 है0 का चयन, पोर्टल पर तकनीकी समस्या आदि) में काफी कठिनाईयां उत्पन्न हुई, जिस कारण लम्बा समय व्यतीत हो गया।
11. समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रस्ताव पुनः नये सिरे से ऑनलाईन उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित किया गया।
12. तत्पश्चात् भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/09/140/2021/एफ0सी0/1373 दिनांक 27.01.2022 के द्वारा 19 आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक-12)
13. उक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-209/भूमि ह0/2022-23 दिनांक 03-09-2022 द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 08-09-2022 ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक-13)
14. पुनः भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू0सी0पी0/09/140/2021/एफ0सी0/1056 दिनांक 01-11-2022 के द्वारा 06 आपत्तियों के निराकरण हेतु साथ प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस भेजा गया। (संलग्नक-14)
15. उक्त आपत्तियों का पूर्ण निराकरण करते हुये संस्था के पत्रांक-449/भूमि ह0/2022-23 दिनांक 20-02-2023 के द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 21-02-2023 को ऑनलाईन आपलोड करते हुये उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। (संलग्नक-15)

यह भी अवगत कराना है कि पुनः भारत सरकार के पत्र दिनांक 26.04.2023 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 24.01.2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी **non-site specific activity** प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.01.2022 एवं पत्र दिनांक 01.11.2022 के द्वारा कतिपय आपत्तियों/कमियों के निराकरण हेतु ऑनलाईन

वापस किया गया, जिसका पूर्ण अनुपालन करते हुये प्रस्ताव ऑनलाईन उच्च स्तर/भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कराना है कि एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन हेतु नये दिशानिर्देश दिनांक 24.01.2022 को जारी किये गये हैं, किन्तु प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वर्ष 2014-15 से स्वीकृति हेतु गतिमान है तथा भारत सरकार स्तर से वांछित सूचना/कतिपय आपत्तियां उक्त दिशानिर्देश के पश्चात की हैं, जिनका पूर्ण अनुपालन किया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण में कतिपय कठिनाईयों व औपचारिकताओं को पूर्ण करने में हुई समस्या एवं विषम परिस्थितियों को दृष्टियगत रखते हुये प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर एक बार पुनः पुनर्विचार करने की महान कृपा कीजिएगा, ताकि क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को तकनीकी ज्ञान की सहायता से रोजगार एवं स्वरोजगार का अवसर मिल सके और स्थानीय नागरिकों के विकास हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना की जा सके।

स्नेहगुरु ! स्थापित द्वारा प्राप्त उपरोक्त पत्र संर

भवदीय,



(अनुराग नैथानी)

समन्वयक/प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
घोपला उद्दयगढ़

क० भू०६०

भू० कार्य० करे

प्र० क० अ० वि०

Compose

Delete Move Spam More

Inbox (81)

Unreads (16)

Sent

Spam (1)

Trash

Smart Views

Important

Unread

Starred

People

Social

Travel

Shopping

Finance

News

Recall

Sponsored



Looking for Mr Right?
Find the right match
Shaadi.com - Join Now

Email Alert From System Administrator of Online...

gpchopta123@yahoo.com
CC monitoring-fc@nic.in

A proposal seeking prior approval of Central Government under the (Conservation) Act 1980, as per the details given below, has been examined Nodal Officer, Forest (conservation) Act, 1980, Government of Uttarakhand a been found to be complete in all respect.

1. Proposal No. : FP/UK/Others/14241/2015
2. Proposal Name : Construction of Govt Polytechnic Chopt
3. Category of the Proposal : Others
4. Date of Submission : 31/07/2015
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name	: Anil
Mobile No.	: 9412126488
State	: Uttarakhand
District	: Rudraprayag
Pincode	: 246442
6. Area Applied (ha.) : 2

Please provide duly signed hard copy of the above proposal along with all necessary enclosures to the office of the each concerned Divisional Forest O and the District Collector and upload a copy of the acknowledgement slip(s) (single pdf file) as per the format given below, obtained from each of the ab authorities, on portal of this Ministry for further processing of the above pr

(System Administrator)

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Acknowledgement Slip

This is to certify that hard copy of the proposal seeking prior approval of Government under the Forest (Conservation) Act 1980, as per details given along with all necessary enclosures has been received in the Office of the Uttar on 31/07/2015.

1. Proposal No. : FP/UK/Others/14241/2015
2. Proposal Name : Construction of Govt Polytechnic Chopt
3. Category of the Proposal : Others
4. Date of Submission : 31/07/2015
5. Name of the User Agency with Contact Details

Name	: Anil
Mobile No.	: 9412126488
State	: Uttarakhand
District	: Rudraprayag
Pincode	: 246442
6. Area Applied (ha.) : 2

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

Reply, Reply All or Forward | More

Click to Reply, Reply All or Forward

संलग्नक - 1

30/9/2015

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी अजमेर नमः क्र. 2

पत्रांक 260 दिनांक 23-10-2015

संलग्नक-2

संज्ञा

प्रधानाध्यक्ष

राजकीय पार्लियामेन्टिक चोपरा
रूपपुराज

विषय - विना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण,
महालय

आप द्वारा विना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, आप द्वारा वृक्षा संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है, जबकि निर्माण कार्य का उस शर्त के तहत देखा जा रहा है, जिसे निर्माण कार्य समाप्त किया गया, परन्तु फिर भी आपने निर्माण कार्य विना भूमि हस्तान्तरण के किया जा रहा है।
अतः आप स्पष्ट करें कि आप द्वारा जनपंथागत भूमि पर विना पूर्व स्वीकृति के क्यों भवन निर्माण कार्य किया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी
अजमेर

प्रतिक्रिया - श्रीमान उप वन संरक्षक रूपपुराज वन पंभाग
को संज्ञा में सूचना दी संत उनावश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित,

वन क्षेत्राधिकारी
अजमेर

3 (v)

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग)

सेवा में,

प्रोजेक्ट मैनेजर
उ०प्र० निर्माण निगम लि०
यूनिट -1 देहरादून

पत्रांक 362/63 भूमि हस्तान्तरण विषयक/ 2015-16/ दिनांक 2/11/15


विषय- विना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण कार्य रोके जाने विषयक ।

महोदय,

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि वन क्षेत्र के पत्रांक 260/12 दिनांक 23/10/2015 (पत्र की फोटो प्रति संलग्नक) के अनुपालन में अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रस्तावित भूमि पर भूमि हस्तान्तरण से पूर्व भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है । जो कि वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लंघन है पूर्व में भी आपको कार्यालय राजकीय पालिटेक्निक चोपता के पत्रांक संख्या 341/भूमि हस्तान्तरण विषयक/2015-16/दिनांक 7/10/2015 द्वारा अवगत कराया जा चुका है ।

अतः प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य तुरन्त रोक दिया जाये तथा प्रस्तावित भूमि विभाग को हस्तान्तरित होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये ।

संलग्नक -उपरोक्तानुसार ।


प्रधानाचार्य

(अनुराग नैथानी)

राजकीय पालिटेक्निक चोपता

राजकीय रुद्रप्रयाग चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

पृ०स० / भूमि हस्तान्तरण विषयक/ 2015-16/ दिनांक

प्रतिलिपि - निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्रीनगर गढवाल को सूचनाार्थ ।


प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
(अनुराग नैथानी)
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
रुद्रप्रयाग

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
रुद्रप्रयाग

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्तमुनि


पत्रांक 372-73 भूमि विषयक / 2015-16 / दिनांक 4/11/15
विषय- राजकीय पालिटेक्निक निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 260/12 दिनांक 23/10/2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि चयंकित निर्माण कार्य उ०प्र०निर्माण निगम लि० यूनिट-1 देहरादून द्वारा वृक्ष विहीन भूमि पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन करने के पश्चात प्रारम्भ किया गया था। उक्त भूमि राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन होने एवं वृक्षों के बाधक न होने के कारण जानकारी के अभाव में कार्य प्रारम्भ किया गया। इस आशय की जानकारी प्राप्त होने पर कि उक्त भूमि पर वन संरक्षण नियम लागू होता है प्रोजेक्टर मैनेजर उ०प्र०निर्माण निगम लि० यूनिट-1 देहरादून को तत्काल कार्य बन्द करने को कहा गया है। विधिवत स्वीकृति के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर कार्य किया जायेगा ।

धन्यवाद ।


प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
रुद्रप्रयाग

पृ०स० / भूमि विषयक / 2015-16 / दिनांक
प्रतिलिपि- उपवन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग को सूचनाार्थ प्रेषित ।

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता



ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं० :- 01364 - 233505::
पता :- माई की गढ़ी निकट जवाही साईपारा रुद्रप्रयाग

संलग्नक - 4

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 1304 / 12-1(2) दिनांक 5-11 / 2015::

सेवा में

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- प्रस्तावित राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता के भवन निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रकरण के क्रम में अवगत कराना है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव उक्त विषयक हेतु ऑन लाईन कर दिया गया है, वन भूमि हस्तान्तरण की पूर्वानुमति के बिना ही सम्बन्धित विभाग द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जानकारी प्राप्त होने पर वन क्षेत्राधिकारी, अगस्त्यमुनि द्वारा उनके पत्रांक-260/12 दिनांक 23.10.2015 से प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता को तत्काल कार्य बन्द कराने हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता द्वारा उनके पत्रांक- 372/भूमि विषयक-2015-16 दिनांक 04.11.2015 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/9(ख)-2 तथा वहां पर कोई जंगल न होने के कारण उनके द्वारा जानकारी के अभाव में कार्य प्रारम्भ किया गया था, जिसे उनके द्वारा रोक दिया गया है।

प्रथम दृष्टया प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता द्वारा जानकारी के अभाव होने की बात सही प्रतीत होती है। प्रधानाचार्य के कार्य बन्द करने से भी यह परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा जानबूझकर वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः सादर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में यथोचित दिशा-निर्देश देने का कष्ट करें।

C/C

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

प्रपत्र-5

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been received by this office from Principal Govt. Polytechnic Chopta, (Rudraprayag) Uttarakhand (for diversion under FCA-1980) of 2.00 hac. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for Construction of Govt. Polytechnic Chopta, (Rudraprayag) Uttarakhand. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated - 06-11-2015.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 2.00 hac. (Civil Land)

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- No

Whether any protected archeological /heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- No

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. No

The proposed site was inspected by me on dated 06-11-2015. The construction has been proposed on four khasras - 3308, 3319, 4059 & 4158 and out of these four khasras user agency has started work on Khasra No 4158 related to foundation and pillar erection. For this notice has been issued to User Agency and they have stopped the work.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. Yes

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Recommend in the Public Interest.

Place:- Rudraprayag

(Signature)

Name - (Rajiv Dhiman)

Designation - D.C.F.

Office Seal
रुद्रप्रयाग वन विभाग
रुद्रप्रयाग

Date - 06-11-2015

- N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
- xx Out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0690/2015

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand

- (i) State / Union Territory : Uttarakhand
 (ii) District : Rudraprayag
 (iii) Forest Division : Rudraprayag
 (iv) Area of forest land proposed for diversion (In ha.) : 2
 (v) Category : Others

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Rudraprayag	2	Revenue Forest

Division 1. : Rudraprayag

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Rudraprayag	2

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(ii) Density of vegetation

S. No.	Area(In ha.)	Density	Eco-Class
1	2	0.1	Eco 5

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	Chir	2	1	1	2	2
2	Misc. Species	Surayi	1	0	1	0	0

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

The area proposed for diversion is Revenue forest. Working Plan for such forests is not prepared.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : no erosion pron zone.

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(In km.) : 1.85

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :

(i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Ghurad, Kakad, Guldar etc.

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any:

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any, committed :

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : Yes

(a) Details of violation(s): No Data

(b) Period of Work done(year) : 2015

(c) Area of forest land involved in violation (in ha.) : 0.111

S. No.	Name of person responsible for violation	Designation & Address of person responsible for violation	Action taken against the person responsible for violation
1	Official of U P Rajkiya Nirman Nigam Ltd Nirman Unit Dehradun	Project Manager U P Rajkiya Nirman Nigam Ltd Nirman Unit Dehradun	Notice issued and work was stopped.


12. Whether work in violation is still in progress(Yes/No) : Yes ~~Yes~~ NO

13. Details of compensatory afforestation scheme :

(ii). Total Financial Outlay for C.A: 837464.00

(iii). Whether the land identified by User Agency is suitable for CA and from management point of view: Yes

(iv).

Copy of certificate regarding suitability of land identified for CA and from management point of view:  (v).

Copy of detailed CA scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure etc.: 

Additional Information Details :

S. No.	Documents	Remarks
	NIL	

14. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (In ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (In ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Rudraprayag	198400.00	179099.50	578.991	151	1129.614	06/11/2015	256.066	873.548

15. Site Inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visit	Site inspection report	Date of visit
NO Data						

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 03 मार्च, 2014

विषय:- राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 2 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम देहरादून द्वारा संकलित रूप से गठित विस्तृत आगणन ₹6195.22 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत/अनुमोदित आगणन सिविल कार्य हेतु-₹765.62 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹5346.69 लाख अर्थात् कुल ₹6112.31 लाख (रुपये इकसठ करोड़ बारह लाख इकतीस हजार मात्र) व प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये, ₹1441.35 लाख (रुपये चौदह करोड़ इकतालीस लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय करने व सहर्ष स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क0 सं0	राजकीय पॉलीटेक्निक का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आगणन (लाख ₹ में)		
		सिविल कार्य	अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य	कुल संस्तुत आगणन
1	2	3	4	5
✓1.	सतपुली (पौड़ी)	36.34	245.03	281.37
✓2.	गापेश्वर (चमोली)	43.17	285.89	329.06
3.	बड़कोट(उत्तरकाशी)	40.57	288.20	328.77
✓4.	पतनगर (उधमसिंहनगर)	32.80	237.09	269.89
5.	चौनलिया(अल्मोड़ा)	38.28	279.94	318.22
6.	मल्लासालम (अल्मोड़ा)	38.28	287.02	325.30
✓7.	गरुड़ (बागेश्वर)	40.31	267.45	307.76
✓8.	काण्डा(बागेश्वर)	40.31	266.99	307.30
✓9.	कुलसारी (चमोली)	41.94	294.51	336.45
10.	पोखरी (चमोली)	41.55	281.13	322.68
11.	गैरसैण(चमोली)	39.41	295.28	334.69
✓12.	जाखणीधार (टिहरी)	38.30	257.99	296.29
13.	ओखला प्रतापनगर (टिहरी)	41.34	289.60	330.94
✓14.	गजा (टिहरी)	36.32	248.95	285.27
✓15.	भलस्वागाज (हरिद्वार)	34.42	235.47	269.89
✓16.	खटीमा(उधमसिंहनगर)	33.03	236.86	269.89
✓17.	टनकपुर (चम्पावत)	33.03	236.86	269.89
18.	दनिया (अल्मोड़ा)	37.50	277.58	315.08

Acctt. / Steno

प्रधान
राजकीय पॉलीटेक्निक
विभाग उत्तराखण्ड

1	2	3	4	5
19.	चौपत्ता (रुद्रप्रयाग)	40.14	303.54	343.68
20.	क्वासी चकराता (देहरादून)	38.58	231.31	269.89
	कुल योग-	765.62	5346.69	6112.31

- (1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिव स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (2) कार्य पद मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एन लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य के सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (4) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (6) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।
- (7) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
- (8) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत ओदशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (9) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुये भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षित पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी चंकिंग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्ज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।
- (11) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (12) मैदानी क्षेत्र में प्रस्तावित 6 पॉलीटेक्निक यथा रा0पा0 पंतनगर (उधमसिंहनगर), रा0पा0 भलस्वागाज (हरिद्वार), रा0पा0 खटीमा (उधमसिंहनगर) तथा रा0पा0 टनकपुर (दुम्पावत) मैदानी क्षेत्र में हैं, इनमें प्रशासनिक भवन, प्रयोगशालाओं को सिविल स्ट्रक्चर में तथा क्लास रूम आदि को Pre engineering structure में तैयार कराया जायेगा। यदि सिविल कार्य से लागत में वृद्धि होती है, तो उसे टी0ए0सी0 से पुनः परीक्षण करा लिया जायेगा। जबकि अन्य पॉलीटेक्निक Pre engineered structure में ही तैयार कराया जाये।

- (13) बाजार में Pre engineered structure Set के अलग-अलग मॉडल उपलब्ध हैं इसमें किसी एक मॉडल न लगा कर कई प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले अच्छे मॉडल कें लगाया जाये, ताकि भविष्य में इनकी गुणवत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जा सके।
- (14) सभी संस्थानों के भवनों के Common space/street light में L.E.D. light का प्राविधान किया जायेगा तथा Power backup के लिये Generator set का प्राविधान भी कर लिया जाये।
- (15) निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व प्रथम चरण के सभी सुसंगत प्रक्रियात्मक कार्यों को पूर्ण करा लिया जाये।
- (16) निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो तथा Cost over run ना हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाये।
- (17) उपरोक्त तालिका में अंकित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के अनावासीय भवन निर्माण हेतु निम्न तालिकानुसार पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का वर्तमान में प्रस्तावित प्री-इंजीनियर्ड तकनीकी के आधार पर किये जाने के फलस्वरूप आगणित धनराशि में समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र०सं०	संस्थान का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	✓ रा०पा० दनिया	8.94
2.	✓ रा०पा० कुलसारी	9.73
3.	✓ रा०पा० खटीमा	9.73
4.	✓ रा०पा० सतपुली	7.45
5.	रा०पा० प्रतापनगर	25.00
6.	✓ रा०पा० गजा	9.73
7.	✓ रा०पा० चकराता क्वांसी	9.73
8.	✓ रा०पा० गैरसैण	9.73
9.	✓ रा०पा० गरुड	66.67

- (18) विशेष आयोजनागत सहायता के अन्तर्गत आच्छादित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि राज्यांश/केन्द्रांश के आधार पर आवंटित की जायेगी।
- (19) प्रश्नगत निर्माण कार्यों की निरन्तर समीक्षा कर मासिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत आगणन की एक प्रति आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-104-बहुशिल्प-आयोजनागत-03-राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढीकरण-00-24-वृहत निर्माण कार्य मद" के नामें डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-260(P)/XXVII(3)/2013-14 दिनांक 28 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


(राकेश शर्मा)


अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. कोषाधिकारी, श्रीनगर।
5. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम लि० देहरादून।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/समन्वयक, राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग।
8. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।


प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
धौपता उद्भ्रवाण


(एस०एस०टोलिया)
उप सचिव।

⑤ EV303750268

संख्या : 66 /XLI-1/2014-31/2014

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

जारी दि. 05	123
जांच दि. 05	
दिनांक 10/07/14	
कार्यालय	
कार्यवाही दि. 05	

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 04 जुलाई, 2014

विषय: नव स्थापित एवं पूर्व से स्थापित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों हेतु नई मांग के माध्यम से पदों/पाठ्यक्रमों के सृजन/स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन एवं पर्वतीय/सीमान्त क्षेत्रों तथा अन्य स्थानों में यथावश्यकता मांग के आधार पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि कर छात्र-छात्राओं को रोजगारोन्मुख बनाये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न शासनादेशों के माध्यम से राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त पूर्व से स्थापित कतिपय संस्थानों में निर्धारित मानकों के अनुसार पदों का सृजन न होने तथा शैक्षिक कार्य में कठिनाई उत्पन्न होने के कारण अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाना आवश्यक है।

2- अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य में नवस्थापित राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों हेतु परिशिष्ट-1 के अनुसार स्वीकृत पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु शैक्षिक तथा शिक्षणेत्तर संवर्ग के 352पद एवं पूर्व से स्थापित पॉलीटेक्निक संस्थानों हेतु परिशिष्ट-2 के अनुसार अतिरिक्त 489पद अर्थात् कुल 841 (आठ सौ इकतालीस पद) (759 अस्थायी पद तथा 82 आऊटसोर्सिंग द्वारा भरे जाने वाले पद) पदों को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 28.02.2015 तक की अवधि, बशर्ते कि ये इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाएं, के लिये सृजित/स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त अस्थायी पदों के सृजन के फलस्वरूप तदविषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेंगे। आऊटसोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत किये जा रहे पदों पर कार्य सम्पादन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में कार्यवाही कर सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपरोक्त अस्थायी सृजित पदों पर उक्त पद के वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य किये गये महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 23(P)/XXVII(3)/2014-15 दिनांक 02.7.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

क्रमशः

Pandey-2014/Letter

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
कोयला रूद्रप्रयाग

79

OS
10/7/14

संख्या : 66 (1) / XLI(1) / 2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमाऊँ मण्डल।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मा. तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
6. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ / बागेश्वर / चम्पावत / चमोली / देहरादून / ऊधमसिंहनगर / टिहरी / उत्तरकाशी / अल्मोड़ा / नैनीताल / हरिद्वार / पौड़ी।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
9. वित्त अधिकारी, जी. बी. पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी (पौड़ी गढ़वाल)।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
12. राष्ट्रीय सूचना प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

शासनादेश संख्या : 66 / XLI-I / 2014-11 / 2014 दिनांक : 04 जुलाई, 2014
का परिशिष्ट-1

नव स्थापित पॉलीटेक्निक संस्थानों हेतु सृजित पदों का विवरण-

(1) राजकीय पालीटेक्निक पॉबो, पौड़ी, गढ़वाल-
स्वीकृत पाठ्यक्रमों के नाम-

1. इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीन वर्षीय

2. कम्प्यूटर साइंस इजी0 तीन वर्षीय

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान/ग्रेड वेतन	सृजित पदों की संख्या
(01)	(02)	(03)	(04)
1	प्रधानाचार्य	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-7600	1
2	विभागाध्यक्ष, विद्युत इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
3	विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस इजी0	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
4	विभागाध्यक्ष, बेसिक साइंस	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
5	व्याख्याता, विद्युत इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	3
6	व्याख्याता, कम्प्यूटर साइंस इजी0	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	3
7	व्याख्याता, गणित	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
8	व्याख्याता, भौतिकी	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
9	व्याख्याता, रसायन	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
10	व्याख्याता अंग्रेजी	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
11	कर्मशाला अनुदेशक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	3
12	प्रधान सहायक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	1
13	वैयक्तिक सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
14	पुरस्तकालयाध्यक्ष	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
15	वरिष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
16	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
17	कनिष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
18	चषरासी	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2000	2
19	स्वीपर,मार्ट टाइम	(आउट साई)	2
		(आउट साई)	1
		योग-	27

(2) राजकीय पालीटेक्निक बॉसबगड, तल्लाजौहर-
स्वीकृत पाठ्यक्रमों के नाम-

1. सिविल इंजीनियरिंग तीन वर्षीय

2. इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तीन वर्षीय

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान/ग्रेड वेतन	सृजित पदों की संख्या
(01)	(02)	(03)	(04)
1	प्रधानाचार्य	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-7600	1
2	विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
3	विभागाध्यक्ष, इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
4	विभागाध्यक्ष, बेसिक साइंस	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
5	व्याख्याता, सिविल इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	3
6	व्याख्याता, इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	3
7	व्याख्याता, गणित	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1

(7) राजकीय पालीटेक्निक चिन्वालीसौड, उत्तरकाशी-
स्वीकृत पाठ्यक्रमों के नाम-

1. सिविल इंजीनियरिंग तीन वर्षीय

2. इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीन वर्षीय

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान/ग्रेड वेतन	सृजित पदों की संख्या
(01)	(02)	(03)	(04)
1	प्रधानाचार्य	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-7600	1
2	विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
3	विभागाध्यक्ष, विद्युत इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
4	विभागाध्यक्ष, बेसिक साइंस	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
5	व्याख्याता, सिविल इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	3
6	व्याख्याता, विद्युत इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	3
7	व्याख्याता, गणित	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
8	व्याख्याता, भौतिकी	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
9	व्याख्याता, रसायन	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
10	व्याख्याता अंग्रेजी	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
11	कर्मशाला अनुदेशक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	3
12	प्रधान सहायक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	1
13	वैयक्तिक सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
14	पुस्तकालयाध्यक्ष	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
15	वरिष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
16	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
17	सहायक लेखाकार	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
18	कनिष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2000	2
19	चपरासी	(आउट सोर्स)	2
20	स्वीपर, पार्ट टाइम	(आउट सोर्स)	1
योग-			28

(8) राजकीय पालीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग-
स्वीकृत पाठ्यक्रमों के नाम-

1. सिविल इंजीनियरिंग तीन वर्षीय

2. फार्मसी दो वर्षीय

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान/ग्रेड वेतन	सृजित पदों की संख्या
(01)	(02)	(03)	(04)
1	प्रधानाचार्य	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-7600	1
2	विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
3	विभागाध्यक्ष, बेसिक साइंस	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
4	व्याख्याता, सिविल इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	3
5	व्याख्याता, फार्मसी	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	5
6	व्याख्याता, गणित	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
7	व्याख्याता, भौतिकी	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
8	व्याख्याता, रसायन	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
9	व्याख्याता अंग्रेजी	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
10	कर्मशाला अनुदेशक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	3
11	प्रधान सहायक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	1
12	वैयक्तिक सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
13	पुस्तकालयाध्यक्ष	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1

1

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान/ग्रेड वेतन	सृजित पदों की संख्या
(01)	(02)	(03)	(04)
14	वरिष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
15	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
16	सहायक लेखाकार	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
17	कनिष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2000	2
18	चपरासी	(आउट सोर्स)	2
19	स्वीपर,पार्ट टाइम	(आउट सोर्स)	1
योग-			29

(9) राजकीय पॉलीटेक्निक बडखेत, रिखडीखाल, पौडी, गढवाल-
स्वीकृत पाठ्यक्रमों के नाम-

1- इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीन वर्षीय 2- इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग तीन वर्षीय

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान/ग्रेड वेतन	सृजित पदों की संख्या
(01)	(02)	(03)	(04)
1	प्रधानाचार्य	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-7600	1
2	विभागाध्यक्ष, विद्युत इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
3	विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
4	विभागाध्यक्ष, बेसिक साइंस	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-6600	1
5	व्याख्याता विद्युत इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	3
6	व्याख्याता इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	3
7	व्याख्याता, गणित	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
8	व्याख्याता, भौतिकी	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
9	व्याख्याता, रसायन	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
10	व्याख्याता अंग्रेजी	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-5400	1
11	कर्मशाला अनुदेशक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	3
12	प्रधान सहायक	₹9300-34800, ग्रेडवेतन-4200	1
13	व्यक्तिगत सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
14	पुस्तकालयाध्यक्ष	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
15	वरिष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
16	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
17	सहायक लेखाकार	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2800	1
18	कनिष्ठ सहायक	₹5200-20200, ग्रेडवेतन-2000	2
19	चपरासी	(आउट सोर्स)	2
20	स्वीपर,पार्ट टाइम	(आउट सोर्स)	1
योग-			28

(10) राजकीय पालीटेक्निक भीमताल, नैनीताल-

स्वीकृत पाठ्यक्रमों के नाम-1.सिविल इंजी० तीन वर्षीय

2.इलेक्ट्रानिक्स इंजी० तीन वर्षीय।

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान/ग्रेड वेतन	सृजित पदों की संख्या
(01)	(02)	(03)	(04)
1	प्रधानाचार्य	₹15600-39100, ग्रेडवेतन-7600	1

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
बोपता रुद्रप्रसाद

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
गौचर (चमोली)।

सेवा में,

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 693 /नया0पाली0 चोपता/2013-14
महोदय,

दिनांक 18 सितम्बर 2013

शासनादेश सं0 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 द्वारा रूद्रप्रयाग के चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। ए0आई0सी0टी0ई0 मानकों के अनुसार 5.00 एकड़ भूमि निशुल्क की आवश्यकता होगी इस भूमि पर कोई धार्मिक स्थल, शमशान घाट विद्युत की लाइन, वन भूमि जिसमें वृक्ष आदि न हों का प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। यदि स्थानीय काश्तकार अपनी भूमि संस्था हेतु दान में उपलब्ध कराना चाहें, ऐसी भूमि का प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(सुनील कुमार)
प्रधानाचार्य

तददिनांक

पृ0सं0 694-95 /नया0पाली0 चोपता/2013-14

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- उपजिलाधिकारी सदर रूद्रप्रयाग।
- 2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल।


प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
गौचर (चमोली)

(सुनील कुमार)
प्रधानाचार्य

राजकीय पॉलीटेक्निक, गौचर
(उत्तराखण्ड)

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
गौचर (चमोली)।

सेवा में,

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक /नया0पाली0 चोपता/2013-14
महोदय,

दिनांक 18 सितम्बर 2013

शासनादेश सं0 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 द्वारा रुद्रप्रयाग के चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। ए0आई0सी0टी0ई0 मानकों के अनुसार 5.00 एकड़ भूमि निशुल्क की आवश्यकता होगी इस भूमि पर कोई धार्मिक स्थल, श्मशान घाट विद्युत की लाइन, वन भूमि जिसमें वृक्ष आदि न हों का प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। यदि स्थानीय काश्तकार अपनी भूमि संस्था हेतु दान में उपलब्ध कराना चाहें, ऐसी भूमि का प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(सुनील कुमार)
प्रधानाचार्य

पृ0सं0 604-95 /नया0पाली0 चोपता/2013-14

तददिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- उपजिलाधिकारी सदर रुद्रप्रयाग।
- 2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल।

TWA(A)

उपभूमि का प्रस्ताव
उपलब्ध कराने।

(सुनील कुमार)
प्रधानाचार्य

21-3-13

चोपता

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जय का रुद्र 23/09/13

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
संख्या-2586/छब्बीस-12 (2012-13) दिनांक 26 मार्च 2014

प्रेषित,

प्रधानाचार्य,
राजकीय पालिटेक्निक,
गौचर (चमोली)।

विषय:- स्थान चोपता (कुण्डादानकोट) जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय पालिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक-1156/स्था0/नव सृजित पाली0/2013-14 दिनांक 09-01-2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो स्थान चोपता (कुण्डादानकोट) जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय पालिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु भूमि चयन के सम्बन्ध में है।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि, जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र कंदारनाथ के अन्तर्गत राजकीय पालिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम कुण्डादानकोट में भूमि चयनित कर प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, देहरादून को प्रेषित किया गया था। पूर्व में चयनित भूमि में केवल 12.5 नाली भूमि उपयोगी होने से स्थान चोपता (कुण्डादानकोट) जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय पालिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु पुनः ग्राम कुण्डादानकोट राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र चोपता जाखणी, तहसील व जनपद रुद्रप्रयाग के ज0 वि0 र0 ख0 खा0 सं0-36 खसरा नं0-3319 मध्ये 0.700 हे0, खसरा नं0-4059 मध्ये 0.800 हे0, खसरा नं0-4158 मध्ये 0.400 हे0, श्रेणी 9 (ख) 2 अन्य प्रकार के वृक्ष झाड़ियों के समूह व लम्बी घास, ख0 खा0 सं0-47 खसरा नं0-3308 मध्ये 0.100 हे0, श्रेणी 10 (4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि कुल रकबा 2.000 हे0 चयनित की गई है। चयनित भूमि चोपता-स्वामी ग्वांस मोटर मार्ग पर स्थित है। पालिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु पुनः भूमि का चयन आपकी उपस्थिति में किया गया है।

अतः स्थान चोपता (कुण्डादानकोट) जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय पालिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु भूमि चयनित भूमि का नक्शा, खसरा, खतौनी मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्न- उक्तानुसार


प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक
रुद्रप्रयाग


(आर0 के0 गोयल),
प्र0 अपर जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

उत्तराखण्ड सरकार शासनादेश संख्या 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के स्थान चोपता (तल्ला नागपुर) में राजकीय पॉलिटैक्निक की स्वीकृत प्राप्त होने पर इस पॉलिटैक्निक के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम कुण्डा दानकोट की सीमान्तर्गत सरकार केशर हिन्द नम्बर 3308,3319,4158 एवं 4059 मध्ये कुल हैक्टेयर भूमि चयनित की गयी है ।

जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के पत्रांक संख्या 1229/छब्बीस-12(2012-13) दिनांक 27 जनवरी 2015 के अनुपालन में आज दिनांक 12-02-2015 को चयनित भूमि का संयुक्त निरीक्षण याचक विभाग के प्रतिनिधि श्री ए०के०एस० गौड़, प्रधानाचार्य/समन्वयक राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता (रुद्रप्रयाग) के साथ वन विभाग के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह नेगी, वन दरोगा धितोली, श्री लक्ष्मी प्रसाद मैठाणी राजस्व उप निरीक्षक चोपता के साथ श्री एम०एल० भेतवाल तहसीलदार रुद्रप्रयाग द्वारा किया गया । संयुक्त निरीक्षण में चयनित भूमि प्रस्तावित प्रयोजन हेतु उपयुक्त एवं उचित पायी गयी है ।

उपरोक्त प्रस्तावित भूमि में 10 से 70 सेमी० गोलाई के 9 पेड़ चीड़ के तथा 10 से 40 से०मी० गोलाई के दो पेड़ सुरई के स्थित होने पाये गये । वनक्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

अतः रिपोर्ट मौके पर कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

(लक्ष्मी प्रसाद मैठाणी)
राजस्व उप निरीक्षक
चोपता

(राजेन्द्र सिंह नेगी)
वन दरोगा धिमतोली

राजि० अधिकारी
वन विभाग रुद्रप्रयाग

(एम०एल० भेतवाल)
तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

(ए०के०एस० गौड़)
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक रुद्रप्रयाग
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय बन्नाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड ।
श्रीनगर (गढवाल) ।

पत्रांक 247 / भूमि हस्तान्तरण विषयक / 2015-16 / दिनांक 31/7/2015
विषय - नव सृजित राजकीय पालिटेक्निक चोपता प्रस्तावित भूमि हस्तान्तरण कराये जाने विषयक ।
महोदय,

आपके पत्रांक 1375-79/नि0प्रा0शि0/प्लान छ:-51/2015-16/दिनांक 27 जुलाई 2015 के अनुपालन में अवगत कराना है कि नव सृजित राजकीय पालिटेक्निक चोपता हेतु भूमि हस्तान्तरण पत्रावलियां 9/7/2015 जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त 9/7/2015 को ही प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग व उप वनसंरक्षक वनप्रभाग रुद्रप्रयाग के हस्ताक्षर कराने हेतु 9/7/2015 को वनविभाग रुद्रप्रयाग के कार्यालय को प्राप्त करायी गयी ।


महोदय दिनांक 28/7/2015 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भूमि हस्तान्तरण पत्रावलियां हस्ताक्षरोपरान्त वनप्रभाग रुद्रप्रयाग के कार्यालय से प्राप्त की गयी तथा दिनांक 29/07/2015 को Forest clearance हेतु संस्था को वनविभाग की वेब साइट पर रजिस्टर किया गया और प्रस्ताव संख्या FP/UK/Others/14241/2015 के Home page पर Form-A डाटा भरते हुए भूमि हस्तान्तरण पत्रावलियों के समस्त प्रपत्र उचित स्थान पर डाउनलोड किए गये। आज दिनांक 31/7/2015 को भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/Others/14241/2015 को अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद sumiit कर दिया गया

महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- संलग्नक -1 -प्रभागीय वनविभाग अधिकारी रुद्रप्रयाग भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्राप्त कराने समबन्धी पत्र
2-वनविभाग की वेब साइट पर संस्था को रजिस्टर करने संबन्धी Acknowledgement की छाया प्रति।
3- प्रस्ताव sumiit करने का प्रमाण ।

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी भूमि-भवन (गढवाल क्षेत्र) राजकीय पालिटेक्निक आमवाला देहरादून


प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग


प्रधानाचार्य
ए0के0एस गौड
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06 सितम्बर, 2018 को अनपद-रूद्रप्रयाग में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपला के निर्माण हेतु 2.00 हे० वन भूमि का गैर वाणिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपला को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में बैठक का कार्यपत्र।

उपस्थिति निम्नवत् रही:-

1. श्री अरविन्द सिंह हयाकी, सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री सुभाष चन्द्र, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री रोना काण्डपाल, सांख्यिकी अधिकारी, वन संरक्षण भूमि संरक्षण निदेशालय देहरादून।

राजकीय पॉलीटेक्निक चोपला, जिला-रूद्रप्रयाग के निर्माण के लिए 2.00 हे० वन भूमि का गैर वाणिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण किया जाना है। इस सम्बन्ध में वर्ष-2018 में ऑनलाईन प्रस्ताव अपलोड किया गया था किन्तु तत्पश्चात् इसमें यह आपत्ति लगी कि विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त किये बिना ही कार्य प्रस्ताव भेज दिया गया। उक्त वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग द्वारा तत्पश्चात् आपत्ति ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी।

वर्तमान में इस आपत्ति का निराकरण करने की अपेक्षा उचित यह होगा कि नये स्तर से वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव अपलोड किया जाय। Forest (Conservation) Act, 1980 के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा स्पष्टीकरण नियम (Guidelines & Clarifications) के सिद्धि संख्या-4.3 (II) के अन्तर्गत Penal Compensatory afforestation का प्राविधान है। अतः विभाग के स्तर से Penal Compensatory afforestation के इस प्राविधान के अन्तर्गत Penal Compensatory afforestation दिलाया दिया जाय ताकि प्रस्ताव आसानी से बिना किसी आपत्ति के पारित हो सके। तदनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।

अंत में बैठक का सधन्यवाद समाप्त किया गया।

(श्री रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
वन अनुभाग-4
संख्या : 912/X-4-18/1(654)/2015
देहरादून : दिनांक 10 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि : निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं मोडल अधिकारी, वन संरक्षण फॉरेस्ट कालोनी, इंदिरा नगर, दे०।

सुभाष चन्द्र
अपर सचिव

सुभाष चन्द्र
अपर सचिव
18/9/18

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपला रूद्रप्रयाग

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8वी./यू.सी.पी./09/140/2021/एफ0 सी0/1373

दिनांक: 07/01/2022

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता (कूड़ादानकोट) में राजकीय पॉलिटेक्निक, चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलिटेक्निक, चोपता, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/Others/44711/2020)

सन्दर्भ:- कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1192/FP/UK/ Others/44711/2020 दिनांक 12-11-2021

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. It is seen that the proposal is for non-site specific activity. State Govt is requested to submit the proposal in view of the guideline para 1.15.
2. On perusal of the KML file of the proposed area, there appears to be sufficient non-forest land in the vicinity so a compelling justification for locating the college in forest patch is not clearly given. Further, it seems that the polygons in the KML file are drawn very casually and is not based on field recording of latitude/ longitude. As a result the area proposed for the diversion comes to 0.54 ha which is far less than 2.00 ha. The State Government is requested to remark the diversion area on KML file.
3. If the area proposed for diversion is taken in more than one patch, it is requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/ patch separately.
4. It is also noticed that three patches of proposed area selected for college which are far from each other. State Govt is requested to clarify this in detail and provide the information in this regard.
5. Building is already constructed in one patch as per KML file. No details of the same submitted in the justification or in State Govt proposal. State Govt is requested to submit a detailed report in this regard.
6. Digital map for the proposed area is not found uploaded. State gov't is requested to upload the geo-referenced digital map of the area proposed for diversion at para C in Part I.


प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

7. It is seen that 11 trees proposed for enumeration. State Govt is requested to clarify whether the same are required to be cut or not.
8. Details of all components not mentioned at para B 2.4 in Part I. State Govt may upload the detail so all the components proposed in the proposal at para B 2.4 in component wise breakup.
9. Requirement of the building in the forest area not justified in the justification. Instead of justifying locating the project in forest area, benefits of the college submitted in the justification. State Govt may upload the justification for locating the project in forest area.
10. Details of alternative explored not uploaded online at para D (ii) (a), which may be done.
11. Permanent employment mentioned as 0 at Para E in Part I. State Govt is requested to clarify the same.
12. Sub-Divisional Level Committee (SDLC) meeting proceedings uploaded online is found incomplete. Further, the date is also not mentioned in the Sub-Divisional Level Committee proceedings. State Govt may upload the complete SDLC meeting proceedings with date.
13. FRA of DM for non-linear category is not found uploaded, which may be done.
14. It is seen that 8 ha area selected for CA against 2 ha area proposed for diversion. Further, in one document it is mentioned that 8 ha area is selected for Penal CA. State Govt may submit a detailed report if any violation found in the proposal.
15. "Others" is mentioned at present owner at para L (iv) (e). State Govt may submit clarification.
16. CA scheme, aerial distance, NPV sheet, tree enumeration list and land schedule uploaded in Part II, para 13 are not clear. State Govt is requested to upload these originally scanned documents in PDF as additional information documents.
17. Name of the area mentioned in CA scheme is 'Swari', however in other documents it is mentioned as 'Gorma'. State Govt may clarify this discrepancy and provide correct document.
18. Date of tree counting is not mentioned in the tree enumeration list. State Govt may submit the Tree enumeration list mentioning the date of tree counting.
19. Administrative approval, land schedule, muck disposal plan, bar chart, geologist report and work not start certificate not found uploaded online or opening error. State Govt is requested to upload these originally scanned documents in PDF as additional information documents.

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी० सी० नोटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

प्रधानाचार्य
राजकीय पर्यावरणिक
संस्थान देहरादून

(टी० सी० नोटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रेषक,
प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता,
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,
उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक:- 209 / भूमि ह0 / 2022-23

दिनांक: 03 सितम्बर 2022

विषय:- संस्था के भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति विषयक।

सन्दर्भ:- (01) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र सं0 8बी.
/यू.सी.पी./09/140/2021/एफ0सी0/1373 दिनांक 27/01/2022।


(02) कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट
कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 410/FP/UK/Others/44711/2020 दिनांक 08
अगस्त, 2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संस्था के वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में हस्तांतरित होने वाली वन भूमि के एवज में कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल सं0 8बी/यू.सी.पी./09/140/2021/एफ 0सी0/1373 दिनांक 27/01/2022 एवं कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 410/FP/UK/Others/44711/2020 दिनांक 08 अगस्त, 2022 द्वारा प्रेषित पत्र में बिन्दु संख्या-1 एवं बिन्दु संख्या 14 के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है। उक्त बिन्दुओं की सूचना जिनका निराकरण कर इस पत्र से साथ प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्र0 सं0	आपत्ति/कमियाँ	निराकरण
1.	It is seen that the proposal is for non-site specific activity. State govt. is requested to submit the proposal in view of the guideline para 1.15.	प्रस्ताव non-site specific activity के लिए तैयार किया गया है एवं प्रस्ताव को guideline para 1.15 के अनुसार प्रस्तुत किया गया है पालीटेक्निक के निर्माण हेतु तल्लानागपुर क्षेत्र के आस-पास ग्राम स्तर, निजी एवं राजस्व स्तर पर उपयुक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही वन भूमि पर (खसरा संख्या 3308 मध्ये 0.040 हे0 भूमि, खसरा सं0 3391 मध्ये 0.700 हे0 भूमि, खसरा सं0 4158 मध्ये 0.400 हे0 एवं खसरा सं0 4059 मध्ये 0.860 हे0 भूमि का चयन किया गया है उपरोक्त के सन्दर्भ- में आस-पास के ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के प्रमाण पत्र एवं राजस्व स्तर पर राजस्व विभाग से हस्ताक्षरित वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र पूर्व में दिनांक 13 जून 2022 को उपवन निरीक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग कार्यालय में प्रेषित किया जा चुका है एवं सत्यापित छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्नकर प्रेषित की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय


प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

		द्वारा प्रमाणित परियोजना के निर्माण हेतु अन्यत्र उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र भी तैयार किया गया जो इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है उपरोक्त से सम्बन्धित प्रपत्र ऑनलाइन पोर्टल के पार्ट 1 में additionaldocument के क्रमांक 15,18 एवं 43 में अपलोड कर दिया गया है ।
2.	It is seen that 8 ha area selected for CA against 2 ha area proposed for diversion. Further, in one document it is mentioned that 8 ha area is selected for penal CA. State Govt. may submit a detailed report if any violation found in the proposal.	उपरोक्त आपत्ति का निराकरण उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के स्तर से किया जाना है ।

5/11
5/11/22
@
36
46/3
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक
बोपता उत्तराखण्ड


भवदीय,

(तपन अरोड़ा)

समन्वयक/प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक बोपता
(बदरबाब) उत्तराखण्ड


प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक
बोपता उत्तराखण्ड



Find messages, documents, photos or people

← Back → Archive → Move → Delete → Spam

- Inbox 135
- Unread
- Starred
- Drafts 48
- Sent
- Archive
- Spam
- Trash
- Less
- Views Hide
- Photos
- Documents
- Subscriptions
- Shopping
- Receipts
- Travel
- Folders Show

Email Alert From System
 Administrator of Online
 Submission and Monitoring of
 Forests Clearances
 Proposal(OSMFCEP) portal



monitoring-fc@nic.in <monito...>
 To: gpchopta123@yahoo.com
 Cc: monitoring-fc@nic.in;
 monitoring-fc@nic.in

Thu, Sep 8 at 8:35 PM

This is to acknowledge that a proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980 as per the details given below successfully reuploaded on the portal of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change Government of India.

1. Proposal No. : FP/UK/Others/44711/2020
2. Proposal Name : CONSTRUCTION OF GOVERNMENT POLYTECHNIC CHOPTA
3. Category of the Proposal : Others
4. Date of Submission : 29/02/2020
5. Name of the Applicant with Contact Details
 - Name : Tapan
 - Mobile No. : 9997709333
 - State : Uttarakhand
 - District : Rudrapurayag
 - Pincode : 246442
6. Area Applied (ha.) : 2

The same has been forwarded to DFO for the processing.



monitoring-fc@nic.in

monitoring-fc@nic.in
1234567890

New Delhi - Dubai	Jaipur - New Delhi	F
₹12,300	₹2,950	[

Book Now Book Now

KAYAK® Flight Deals
KAYAK.com

New Delhi - Dubai	Jaipur - New Delhi	F
₹12,300	₹2,950	[

Book Now Book Now

KAYAK® Flight Deals
KAYAK.com

Sh. Rajan Singh Bisht Ji

प्रधानाचार्य
 राज्यीय पॉलीटेक्निक
 चोपला रुद्रप्रयाग

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यूसी.पी./09/140/2021/एफ0 सी0/1056 दिनांक: 01/19/2022

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।


विषय:- जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता (कूड़ादानकोट) में राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता के निर्माण हेतु 2.00 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्या हेतु राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/Others/44711/2020)

सन्दर्भ:-कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1012/FP/UK/ Others/44711/2020 दिनांक 15-10-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.01.2022 का उत्तर राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पाई हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि निर्मांकित बिन्दु पर अभिलेख/दस्तावेज इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :-


1. In reply to point no. 1, justification provided for proposing a non site-specific project in forest land is not sufficient. The State Govt. should provide the category-wise distribution of the area of the district (RF, Civil Soyam, Van Panchayat, Revenue, Private, etc.). The State Government is also requested to submit provide the land-use of the district and a proper justification as to why the project could not be taken at any other place in the district.
2. In reply to point no. 2, Residential component is given in the component-wise break-up, which may not be allowed on forest land. State Govt is requested to ensure the necessary correction in the details provided in the component wise breakup at para B 2.4 in Part I.
3. In reply to point no. 3, layout plan still not submitted. State Government is again requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/ patch separately
4. In reply to point no. 4, the justification provided is does not seem to be proper. State Government is requested to submit the clarification in this regard.


प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटैक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

5. In reply to point no. 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.
6. Regarding point No. 10 of this office EDS letter, the reply indicates that the State Govt. has made no efforts in avoiding forest land for the proposed non site-specific activity. However, alternatives must have been explored by the State Govt. The State Govt is requested to submit the clarification and necessary information in this regard.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,


(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)

सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)


प्रकाश प्रसाद
राजकीय पॉलीटेक्निक
कोपला उदप्रयाग

प्रेषक,
प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता,
रुद्रप्रयाग।

सेवामें,
उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक:- 449 / भूमि ह0 / 2022-23

दिनांक: 20 फरवरी, 2023

विषय:- राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग के निर्माण हेतु 02 हैक्टेयर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (PROPOSAL NO- FP/UK/OTHERS/44711/2020) में लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाइल सं0 8बी/यू.सी.पी./09/140/2021/एफ0सी0/1056 दिनांक 01/11/2022 के द्वारा प्रेषित पत्र में बिन्दु संख्या-1 से बिन्दु संख्या 06 के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है। उक्त बिन्दुओं की सूचना जिनका निराकरण कर इस पत्र से साथ प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

क्र0 स0	आपत्ति/कमियाँ	निराकरण
1.	In reply to point no,1 Justification provided for proposing a non site-specific project In forest land is not sufficient. The State Govt. should provide the category- wise distribution of the area of the district (RF, Civil Soyam, Van panchayat, Revenue, private, etc). The State Government is also requested to submit provide the land -use of the district and a proper justification ad to why the project could not be taken at any other place in the district	Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part-I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 1. Certificate related for Category Wise Area of Land for District Rudraprayag is uploaded in online Proposal at additional documents and same is submitted in this letter at attachment no. 1. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1. Attachment No-01



प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

2	In reply to point no.2. Residential component is given in the component-wise break -up, which may not be allowed on forest land. State Govt. is requested to ensure the necessary correction in the details provided in the component wise breakup at para B 2.4in part-I	Residential building will not be constructed in the proposed land. Component wise breakup is revised and uploaded at para B 2.4 in part I. Document related to this query is attached in this letter at attachment 2. Attachment No-02
3	In reply to point no 3, layout plan still not submitted .State Government is again requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/patch separately	Layout plan and activity details of each patch is submitted in this letter at attachment no 3 and same is uploaded in online proposal at additional documents. Attachment No-03
4	In reply to point no 4, the justification provided is does not seem to be proper. State Government is requested to submit the clarificationin this regard	Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part-I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 4. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1.
5	In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.	This query is replied at the level of Divisional Forest Office Rudraprayag.
6	Regarding point No. 10 of this office EDS letter, the reply indicates that the State Govt. has made no efforts in avoiding forest land for the proposed non site-specific activity. However, alternatives must have been explored by the State Govt. The State Govt is requested to submit the clarification and necessary information in this regard.	This query is replied at the level of Divisional Forest Office Rudraprayag.

OS फ़ाइलें प्राप्त
की
21/02/2023


प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
शोपना रुद्रप्रयाग

भवदीय,


(विकास भट्ट)

समन्वयक/प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
शोपना रुद्रप्रयाग

Find messages, documents, photos or people Advanced



Home

Compose

Back Archive Move Delete Spam

- Inbox 339
- Unread
- Starred
- Drafts 107
- Sent
- Archive
- Spam
- Trash
- Less
- More
- Photos
- Documents
- Emails to myself
- Subscriptions
- Receipts
- Credits
- Travel
- Folders Show

Email Alert From System
 Administrator of Online
 Submission and Monitoring of
 Forests Clearances
 Proposal(OSMFCP) portal

Yahoo Mail/Inbox



monitoring-fc@nic.in

monitoring-fc@nic.in
+ Add to contacts



Tue, Feb 21, 2021 at 1:36 PM

From: monitoring-fc@nic.in
 To: gpchopta123@yahoo.com
 Cc: monitoring-fc@nic.in
 monitoring-fc@nic.in

This is to acknowledge that a proposal seeking prior approval of Central Govt under the Forest (Conservation) Act 1980 as per the details given below successfully reuploaded on the portal of the Ministry of Environment, I Climate Change Government of India.

1. Proposal No. : FP/UK/Others/44711/2020
2. Proposal Name : CONSTRUCTION OF GOVERNMENT POLYTECHNIC CHOPTA
3. Category of the Proposal : Others
4. Date of Submission : 29/02/2020
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name	: Tapan
Mobile No.	: 9997709333
State	: Uttarakhand
District	: Rudraprayag
Pincode	: 246442
6. Area Applied (ha.) : 2

The same has been forwarded to DFO for the processing

(Custom Ad)

(Handwritten Signature)
 प्रधानाचार्य
 राष्ट्रीय पॉलीटेक्निक
 चोपता रुद्रप्रयाग



19

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फेक्स नं० :- 01364 - 233505::
पता :- माई की मढी निकट जवाडी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक- 3043 / 12-12) दिनांक 06/03/2023
सेवा में,

वन संरक्षक,
गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के निर्माण हेतु 2.00 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ :- **PROPOSAL NO. - FP/UK/OTHERS/44711/2020**
भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./09/140/2021/एफ.सी०/1056 दिनांक 01.11.2022

महोदय, उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक-449/भूमिह०/2022-23 दिनांक 02.02.2023 के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट-1 के additional information detail में ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no.1 Justification provided for proposing a non site-specific project In forest land is not sufficient. The State Govt. should provide the category- wise distribution of the area of the district (RF, Civil Soyam, Van panchayat, Revenue, private, etc). The State Government is also requested to submit provide the land -use of the district and a proper justification ad to why the project could not be taken at any other place in the district	Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part-I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 1. Certificate related for Category Wise Area of Land for District Rudraprayag is uploaded in online Proposal at additional documents and same is submitted in this letter at attachment no. 1. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1. Attachment No-01
2	In reply to point no.2. Residential component is given in the component-wise break-up, which may not be allowed on forest land. State Govt. is requested to ensure the necessary correction in the details provided in the component wise breakup at para B 2.4 in part I	Residential building will not be constructed in the proposed land. Component wise breakup is revised and uploaded at para B 2.4 in part I. Document related to this query is attached in this letter at attachment 2. Attachment No-02
3	In reply to point no 3, layout plan still not submitted .State Government is again requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/patch separately	Layout plan and activity details of each patch is submitted in this letter at attachment no 3 and same is uploaded in online proposal at additional documents. Attachment No-03
4	In reply to point no 4, the justification provided is does not seem to be proper. State Government is requested to submit the clarification in this regard	Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part-I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 4. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1.

क्रमशः-2 पर

5	<p>In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.</p>	<p>प्रकरण में हुये उल्लंघन के संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 31.07.2015 (संलग्नक-4) को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया गया तत्पश्चात् वन भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अगस्त्यमुनि रेंज ने अपने पत्रांक-260/12 दिनांक 23.10.2015 (संलग्नक-5) के द्वारा संबंधित विभाग को बिना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया तथा इस कार्यालय को सूचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्रांक-372/भूमि विषयक-2015-16 दिनांक 04.11.2015 (संलग्नक-6) के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/9(ख)-2 तथा वहां पर कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक-1304/12-1(2) दिनांक 05.11.2015 (संलग्नक-7) के द्वारा पूर्व में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 को स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विवरण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक-8) तथा परिवेश पोर्टल के पैरा-11 (संलग्नक-9) में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठित के बाद निर्माण कार्य अवैध रूप से किया गया था। अतः IFA 1927 में कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, परन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन संबंधी सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी।</p>
6	<p>Regarding point No. 10 of this office EDS letter, the reply indicates that the State Govt. has made no efforts in avoiding forest land for the proposed non site-specific activity. However, alternatives must have been explored by the State Govt. The State Govt is requested to submit the clarification and necessary information in this regard.</p>	<p>Proper and suitable non-forest land was searched at nearby village level, revenue level and private level, but proper and suitable land was not found available for establishment of polytechnic in nearby places. A meeting was held with the village heads of the nearby 4 gram panchayats (Kunda dankot, Kolu-Bhannu, Gorna and Tadag) for the availability of private land, but all the village heads said that land was not available, in relation to which all the 4 village heads signed certificate of non-availability of suitable private land was given. The certificate of non-availability of any other revenue land has also been given by Tehsildar and Sub-Divisional Officer, Rudraprayag. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1.</p>

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार। (मूल सहित 04 प्रतियों में)

भवदीय


उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या - 3043 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

o/c


उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।